

बिहार सरकार  
गृह (विशेष) विभाग  
कार्यालय आदेश

पटना, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

सं० 297/सी, श्री अनिल कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, गृह (विशेष) विभाग, बिहार को झारखण्ड राज्य में पदस्थापन काल में इन्हें रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010 का लाभ झारखण्ड सरकार गृह विभाग के का०सा०-450 दिनांक 23.02.2010 द्वारा दिनांक 01.9.2008 के प्रभाव से प्रथम MACP (ग्रेड पे-2800/-रु०) की स्वीकृति दी गयी थी। अंतिम रूप से आवंटन के फलस्वरूप श्री कुमार की सेवा दिसम्बर, 2010 में बिहार सरकार को वापस की गई है।

वित्त विभाग, बिहार के परमर्शानुसार वित्त विभाग की अधिसूचना सं-6068 दिनांक 13.06.2013 के आलोक में श्री कुमार को प्रथम ACP 12 वर्ष पर Grade pay- 4600/- रु० अनुमान्य होगा। तद्आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 08.06.2015 की बैठक की अनुशांसा के आलोक में पूर्व के उनके सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये MACP को संशोधित करते हुए कार्यालय आदेश सं०-164 दिनांक 17.02.2015 द्वारा प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ दिनांक 12.03.2010 से प्रदान करते हुए पे० बैंड-2, ग्रेड पे०-4600/-अनुमान्य किया जाता है। तदनुरूप कार्यालय आदेश सं०-164, दिनांक-17.07.2015 तथा कार्यालय आदेश सं०-190, दिनांक-12.08.2015 के आलोक में उनका वेतन मौलिक नियमावली के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

दिनांक 01.01.2006	-	11,150/-रु०
दिनांक 01.07.2006	-	11,490/-रु०
दिनांक 01.07.2007	-	11,840/-रु०
दिनांक 01.07.2008	-	12,200/-रु०
दिनांक 01.07.2009	-	12,570/-रु०
दिनांक 12.03.2010	-	12,570/-रु०
		+2200/-रु० (ग्रेड पे० का अन्तर 4600-2400 =2200/-)
दिनांक 01.07.2010-		12,570/-रु० + 380 रु० +390 रु० + 2,200 रु० = 15,540/-रु०
		(दो वेतनवृद्धि का लाभ मौलिक नियमावली के अनुरूप)
दिनांक 01.07.2011	-	16,010/-रु०
दिनांक 01.07.2012	-	16,490/-रु०
दिनांक 01.07.2013	-	16,990/-रु०
दिनांक 01.07.2014	-	17,500/-रु०
दिनांक 01.07.2015	-	18,030/-रु०

2. उपरोक्त के आलोक में पूर्व में निर्धारित आदेश सं०-199-सह-पठित ज्ञापांक 9270, दिनांक 20.08.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

3. उपरोक्त वेतन निर्धारण के क्रम में भविष्य में यदि ऐसा पाया गया कि कम या अधिक वेतन भुगतान हुआ है तो उसकी वसूली/प्रतिपूर्ति यथास्थिति संबंधित कर्मियों के वेतन से कर ली जायेगी।

ह०/-

(राजभूषण प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक-..... दिसम्बर, 2015

ज्ञापांक :- स्था०/सा०-01-34/2003 (खंड)...../

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक-28 दिसम्बर 2015

ज्ञापांक :- स्था०/सा०-01-34/2003 (खंड) 15943.

प्रतिलिपि:- श्री अनिल कुमार, उ०व०लि०, गृह (विशेष) विभाग/लेखा शाखा गृह (विशेष) विभाग (दो प्रतियों में)/आई० टी० प्रबन्धक, गृह (विशेष) विभाग/दफ्तरी, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव